

अनुमति की शर्तें ।

- (1) नगर नगर/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व विधु जारी करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विधान (न्यायिक, राजकीय, कानूनिक या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी उत्तरदायिता के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) नगर निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (4) स्वीकृत नकशे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत विरतन की जा सकती है ।

श्रीमत् खिड़की केवल आवासीय उद्योगकारी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

सी+1
 आवेदन क्रमांक 640 दिनांक 28/03/2020
 श्री श्रीमत् सुमर व्यास द्वारा श्री अर्जुनरायण व्यास
 आवासीय नगरपालिका अधिनियम 2009 श.नं: 143 खमरा संख्या 5/3
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय श्रीमत् बस्ती रोड, पूवजीराज नगर
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश रु.नं: 20258/173
 कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 9647/9647, 9648
 जारि रसीद संख्या 28/03/2020 को जमा करा की है ।

29/3/2020
 सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

Sampooraj
29/3/20
9473247650